रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032024-252617 CG-DL-E-05032024-252617

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 07] | नई दिल्ली,  मंगलवार, मार्च 5, 2024/फाल्गुन 15, 1945 |
|---------|---|
| No. 07] | NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2024/PHALGUNA 15, 1945 |

## रक्षा मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 5 मार्च. 2024

का.नि.आ. 07(अ).— केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 4 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और छावनी परिषद्, मथुरा से परामर्श करने के पश्चात्, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित उक्त छावनी के कतिपय क्षेत्रों को पृथक करने और ऐसे क्षेत्रों का राज्य स्थानीय निकाय में विलय करने के अपने आशय की घोषणा करती है :-

### सारणी

| क्र.सं. | पृथक किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण/सर्वे संख्या |
|---------|--|
| (1)     | (2)  |
| 1.      | 31   |
| 2.      | 35/1   |
| 3.      | 52   |
| 4.      | 60 (भाग) – सी. एफ. लैट्रिन                         |
| 5.      | 61   |
| 6.      | 63   |

1531 GI/2024 (1)

| 7.  | 64/1   |
|-----|--|
| 8.  | 71 (सर्वेक्षण संख्या 71/12 के सिवाय)                                 |
| 9.  | 74   |
| 10. | 76(भाग)-सी.बी. जूनियर हाई स्कूल और चर्च रोड स्थित 01 कर्मचारी आवास । |
| 11. | 98 (भाग)- 02 कर्मचारी आवास तथा 01 ओ एच टी                            |
| 12. | 186 (भाग)-भूमिगत जल निकासी पाइप लाइन                                 |
| 13. | 192  |
| 14. | 204  |
| 15. | 206  |
| 16. | 216  |
| 17. | 217  |
| 18. | 218  |
| 19. | 220 (भाग)- छावनी निधि सड़क मार्ग तथा पम्प हाउस                       |
| 20. | 221  |

- 2. छावनी के किसी भी निवासी द्वारा उपरोक्त घोषणा पर कोई भी आपत्ति इस अधिसूचना के प्रक्राशन की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण पश्चिमी कमान, जयपुर 302006, राजस्थान के माध्यम से केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 3. पृथक किये जाने वाले क्षेत्रों के ब्यौरों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में छावनी परिषद् कार्यालय में किया जा सकता है।

[फा. सं. 14 (31)/2023 - डी (क्यू एवं सी)] राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF DEFENCE NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

**S.R.O.** 07(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, after consulting the State Government of Uttar Pradesh and Cantonment Board, Mathura, hereby declares its intention to exclude certain areas of the said cantonment described in column (2) of the Table given below and the merger of such areas with State local body:-

**TABLE** 

| Sl. No. | Description / Survey Numbers of areas to be excluded                     |
|---------|--|
| (1)     | (2)  |
| 1.      | 31   |
| 2.      | 35/1   |
| 3.      | 52   |
| 4.      | 60(Part)- C.F. Latrines  |
| 5.      | 61   |
| 6.      | 63   |
| 7.      | 64/1   |
| 8.      | 71 (Except 71/12)  |
| 9.      | 74   |
| 10.     | 76 (Part) - C.B. Junior High School and 01 staff quarter at Church Road. |
| 11.     | 98 (Part) - 02 staff quarters and 1 OHT                                  |
| 12.     | 186 (Part) - Underground drainage pipe line                              |

| 13. | 192  |
|-----|--|
| 14. | 204  |
| 15. | 206  |
| 16. | 216  |
| 17. | 217  |
| 18. | 218  |
| 19. | 220 (Part) - Cantonment fund Roadways and Pump House |
| 20. | 221  |

- 2. Any objection to the above declaration by any inhabitant of a Cantonment may be submitted to the Central Government through the General Officer Commanding-in-Chief, South Western Command, Jaipur-302006, Rajasthan within eight weeks from the date of publication of this notification.
- 3. Details of the areas to be excluded can be inspected in the office of Cantonment Board on any working day.

[F. No. 14(31)/2023-D(Q&C)] RAKESH MITTAL, Jt. Secy.